

20/6/19

पत्रावली पं२१ हुई । वकील यात्री व स्वयं यात्री
एजिर नहीं । दार-दार जायाज लगाने दिए ।
दार-दार जायाज लगाने पर भी वही वकील
वकील यात्री एजिर और ना ही यात्री स्वयं
एजिर । अतः यात्री व पत्र सत्यापित निवेदन
को अगल एजिर अगल पत्रों में रखा जा
रिखा जाना है । पत्रावली केवल शुभान्त एत
नबर ले कर ही व दारदाल दफ्तरे है ।

एन.ए.